

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा

क्र./स्था./2025-26/1110

विदिशा, दिनांक 05/06/2025

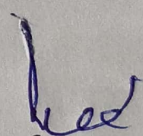
—: विज्ञप्ति :—

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा हेतु सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षागार्ड, भृत्य रखे जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा कार्यवाही ऑनलाईन प्रक्रिया अनुसार <https://mptenders.gov.in>/पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रपत्र एवं निविदा में भाग लेने संबंधी समस्त कार्यवाही की जाना है। सुरक्षा एजेन्सी हेतु शर्तें बेवसाईट <https://mptenders.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

निविदा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्यवाही	तिथि
1.	टेण्डर निविदा का प्रकलन एवं डाउनलोड करना।	06.06.2025
2.	निविदा आमंत्रित करने की अंतिम तिथि।	27.06.2025

टेंडर संबंधी अधिक जानकारी हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा प्रधान कार्यालय विदिशा से संपर्क किया जा सकता है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
विदिशा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा

प्रधान कार्यालय, 44 सावरकर पथ विदिशा
—: निविदा आवेदन फार्म :—

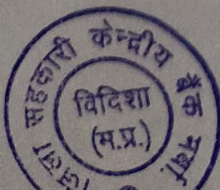
क्र.	विवरण	
1.	फर्म/एजेंसी/संस्था का नाम जिसे निविदा प्रपत्र जारी किया गया है।	
2.	पूर्ण पता/मोबाईल नंबर/टेलीफोन नंबर सहित	
3.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500.00 (रुपये पांच सौ)
4.	निविदा फार्म जमा रसीद क्रमांक/दिनांक	
5.	अर्नेस्टमनी की राशि (डी. डी.)	रु. 500000.00 (रुपये पांच लाख)
6.	डी. डी. क्रमांक/दिनांक	

Rate Statement		
S. No.	Description	Rate personnel for 30 days
1.	Security Guards with Armed	
2.	Security Guards without Armed	
3.	Office Peon	

“बैंक द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तें”

बैंक द्वारा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों से कांटेक्ट आधार पर सुरक्षागार्ड/भृत्यों की सेवायें लिये जाने हेतु निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं :-

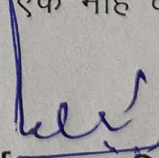
1. सुरक्षा एजेंसी कंपनी एक्ट या के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
2. सेवाकर हेतु केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर संगठन का पंजीयन होना चाहिये व पिछले तीन वर्षों में जी एस टी जमा होने के प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।
3. सुरक्षा एजेंसी कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त तथा राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत हो।
4. विगत तीन वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण पत्र व परमानेंट एकाउंट नंबर (पी.ए.एन) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. सुरक्षा एजेंसी के पास मध्यप्रदेश शासन ग्रह मंत्रालय द्वारा पसारा एक्ट 2005 के तहत मध्यप्रदेश में सुरक्षा कार्य करने हेतु वैध लायसेंस होना चाहिये।
6. सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पिछले 5 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में पीएफ का इंसपेक्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिये जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहियें।
7. सुरक्षा एजेंसी मध्यप्रदेश शासन एमएसएमई विभाग में पंजीकृत होने पर उसे मध्यप्रदेश शासन एमएसएमई विभाग के नियमों के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. श्रम विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी कार्य की अवधि अनुज्ञप्ति पंजीयन।
9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, सेवाकर एवं समस्त प्रकार के कर की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।
10. निविदा चयनित होने के पश्चात संबंधित सुरक्षा एजेंसी को एक माह के वेतन/बिल भुगतान की राशि के बराबर सावधि जमा के रूप में धरोहर राशि बैंक के पक्ष में सावधि जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कार्य में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
12. सुरक्षागार्ड कुशल एवं अर्द्धकुशल एवं अकुशल कम भृत्य का मासिक पारिश्रमिक कलेक्टर अथवा श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम देय नहीं होगा।
13. निविदा की अवधि प्रथमतः 03 वर्ष की होगी व यदि एजेंसी का कार्य संतोषजनक होता है तो आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष निविदा की नियम व शर्तों का पालन करते हुए आपसी सहमति से एजेंसी के कार्य में वृद्धि की जा सकेगी।



निरंतर ...02.....

14. पारिश्रमिक बिल का भुगतान एकाउंट पेयी चैक से सुरक्षा एजेंसी को किया जावेगा।
15. बैंक से लेनदेन हेतु सुरक्षा एजेंसी को बैंक की प्रमुख शाखा विदिशा में खाता खोलना अनिवार्य होगा।
16. सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षागार्ड/भृत्यों का पुलिस वेरीफिकेशन संबंधित सुरक्षा एजेंसी द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा इस संबंध में संबंधित सुरक्षागार्ड के पुलिस वेरीफिकेशन की एक प्रति बैंक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी होगी।
17. संविदा आधार पर रखे गये सुरक्षागार्ड/भृत्यों की सेवायें संतोष जनक नहीं पाये जाने पर तत्काल संबंधित एजेंसी की बैंक द्वारा वापिस कर दी जावेगी।
18. निविदा स्वीकृत पश्चात सुरक्षा एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर बैंक से अनुबंध करना होगा, जिसका समस्त व्यय सुरक्षा एजेंसी को वहन करना होगा।
19. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार का टैक्स इस सेवा पर लगाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी।
20. यदि 2 या 2 से अधिक एजेंसीयों की दरें समान पाई जाती हैं तो जिस एजेंसी को मध्यप्रदेश में शासकीय कार्य करने का अनुभव वर्षों में ज्यादा होगा व जो एजेंसी मध्यप्रदेश के उद्योग विभाग में एमएसएमई में पंजीकृत होगी उसे प्राथमिकता दी जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अमान्य करने का अधिकार होगा।
21. सुरक्षाकार्य हेतु सुरक्षा एजेंसी में कम से कम 50 सुरक्षागार्ड/गनमैन कार्यरत होना आवश्यक है इस हेतु एजेंसी को ईपीएफ व ईएसआईसी में कम से कम 50 कर्मचारियों के अंशदान जमा करने के पिछले तीन माह के प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. सुरक्षागार्ड के पास स्वयं की गन एवं वैध लायसेंस होना अनिवार्य है।
23. निविदा चयनित होने के पश्चात संबंधित सुरक्षा एजेंसी को राशि ₹ 500000.00 {अक्षरी रूपये पाँच लाख मात्र} जमा स्वरूप धरोहर राशि बैंक के पक्ष में सावधि जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. निविदा में निविदाकार को निविदा प्राप्ति (अनुबंध दिनांक से) एक माह की अवधि में पचास प्रतिशत नए कर्मचारी नियुक्त करना होगा।




मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
विदिशा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा

प्रधान कार्यालय, 44 सावरकर पथ विदिशा

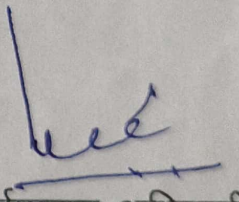
क्रमांक-स्था./2025-26/1173

दिनांक 06.06.2025

शुद्धिपत्र

निविदा क्रमांक- 2025_COSBV_428872_1

- (1) निविदाकार द्वारा BOQ में दरें म. प्र. शासन के न्यूनतम वेतन से नीचे नहीं होनी चाहिए। ESIC, PF, BONUS, GST म. प्र. शासन, भारत सरकार के आवश्यक कर/खर्चों को जोड़कर प्रस्तुत करें। साथ ही बैंक को समय-समय पर सुरक्षा गार्ड/कार्यालय भृत्य के अतिरिक्त अगर कोई अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त रूप से उच्चकुशल/कुशल/अकुशल/अर्द्धकुशल कुशल/कुशल/अकुशल/अर्द्धकुशल श्रमिक की आवश्यकता होने पर निविदाकार को श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
- (2) निविदाकार द्वारा BOQ के कॉलम नंबर 53 में Total Amount without Tax को Total Amount with Tax (EPF, ESIC, Bonus Act) पढ़ा जाए।
- (3) निविदाकार को अपनी दरें प्रस्तुत करते समय भारत सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक - No.F.6/1/2023-PPD Government of India Ministry of Finance, Dated 06 January 2023 को ध्यान में रखते हुए दरें प्रस्तुत करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी